

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्गा/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2005—आषाढ़ 17, शक 1927

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ -4-343/18/2004.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख, 292-ग एवं 292-ड सहपठित धारा 433 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख, 339-ग एवं 339-ड सहपठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निबन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

तृतीय संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 10 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु ऐसी कालोनियां जो राज्य शासन के अधीन किसी निकाय द्वारा समाज के अल्प आय वर्ग के लिए विकसित किया जाना हो, ऐसे बंधनों से मुक्त होंगे”.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयसिंह म्हस्के, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2005

क्रमांक एफ-4-343/18/2004.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-343/18/2004 दिनांक 07-07-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयसिंह म्हास्के, विशेष सचिव.

Raipur, the 7th July 2005

### NOTIFICATION

No. F-4-343/18/2004.— In exercise of the powers conferred by Section 292-A, 292-B, 292-C and 292-E read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 339-A, 339-B, 339-C and 339-E read with Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Nagarpalika (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 1998, namely :—

### THIRD AMENDMENT

In the Said rules :—

After sub-rule (1) of Rule 10 following proviso, shall be added, namely :—

"Provided such colonies which are to be developed for the low income groups of the society by any body under the State Government, shall be exempted from such binding".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
JAY SINGH MHASKEY, Special Secretary.